न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–24/2017–2018

राज्य बनाम सुनील कुमार सदा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
13.6.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, चौथम थाना कांड सं०–70/2017 दिनांक–10.04.2017 के सन्दर्भ में प्राप्त संबंधित थानाध्यक्ष चौथम के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–07.05.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1699/सी.आर., दिनांक–10.05.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष चौथम के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष चौथम के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR34P-2844, जिसके बॉडी पर पीछे ATUL लिखा हुआ है, जो दिनांक–10.04.2017 को अवैध रूप से मिश्रित तारी लेकर राजधाम की ओर से पिपरा बाजार की ओर जा रहा था। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त टेम्पू की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा प्राथमिकी के नामजद/अभियुक्तों को न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया। जप्ती सूची के अनुसार उक्त टेम्पू से दो प्लास्टिक का बड़ा गेलन रंग ब्लू एवं काला में करीब 40X2=80 ली० मिश्रित तारी बरामद किया गया। जप्ती सूची पर सुनील कुमार सहनी, थानाध्यक्ष चौथम के साथ–साथ सुनील कुमार सदा, पिता–नागो सदा एवं मन्टून साह, पिता–भूटो साह का हस्ताक्षर है। जप्ती सूची की एक प्रति टेम्पू चालक नवीन कुमार को हस्तगत करा दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये Screen Report से वाहन संख्या BR34P-2844, चेचिस नं0– MCGOOAMC4D1480194 के स्वामी संजीव कुमार दास, पिता–जीवन दास, ग्राम–पीपरा, पो०–केशव नगर, खगड़िया हैं। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत टेम्पू के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी संजीव कुमार दास द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से	

1.		टिप्पणी
	08.06.2017 को कारण–पृच्छा दायर किया गया। कारण–पृच्छा में वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उन्होंने उक्त टेम्पू भाड़े पर चलाने हेतु ड्राईवर नवीन कुमार को दिया था। ड्राईवर नवीन कुमार ने आश्वासन दिया था कि वे टेम्पू पर केवल सवारी को बैठाएगा तथा अवैद्यानिक कार्य कभी नहीं करेगा। जप्त टेम्पू के ड्राईवर एवं गिरफ्तार बौकू सदा से आवेदक स्वामी को कोई सरोकार नहीं है। इस आधार पर वाहन स्वामी द्वारा टेम्पू को मुक्त करने का अनुरोध किया गया। संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है। सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा वे उपस्थित भी हुए और उनके द्वारा कारण–पृच्छा भी दायर किया गया। परन्तु कारण–पृच्छा न्यायहित में भी नहीं है। अतः कारण–पृच्छा अस्वीकार किया जाता है। उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR34P-2844, चेचिस नं0– MCGOOAMC4D1480194 टेम्पू बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है। 1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34P-2844, चेचिस नं0– MCGOOAMC4D1480194 टेम्पू, जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय। 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	है कि थाना में जप्त वाहन BR34P-2844, चेचिस नं0– MCGOOAMC4D1480194 टेम्पू का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे। 3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया समाहर्त्ता, खगड़िया	